CCMS-2025/138 प्र०न० -74/25

प्रार्थना- 152 सीपीसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 13/2024 जीसीएमएस : 2024/35 प्रदीप सिंह आदि बनाम सुशील कुमार आदि वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 आरटीएक्ट निर्णय दिनांक : 26.05.2025 प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
17.06.2025	आज यह पत्रावली वादीगण की ओर से जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी दिनांक 11.06.2025 प्रस्तुत कर न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.05.2025 में तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की पठनीय भूल के कारण मु.नं. व कि.नं. लिखने में हुई संहबन से हुई गलती को दुरूस्त करने हेतु निवेदन करने पर पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव, वाद पत्र एवं राजस्व रिकार्ड जमाबंदी का अवलोकन किया। प्रकरण में तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2025/1671 दिनांक 06.05.2025 के द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव में अस्पष्टता के कारण पठनीय भूलवश संहबन से न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.05.2025 में वादीगण को विभाजन में दी गई भूमि के विवरण में प.नं. 188/414(7) कि.नं. 6/0.013, 7/0.013, 8/0.013, 9/0.013, 10/0.012, की कुल 0.064है. संहबन से प.नं. 189/414(8) में अंकन हो गया है। जिसको इस हद तक दुरूस्त किया जाना अत्यंत आवश्यक एवं न्यायोचित है। अतः वादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी स्वीकार कर आदेश दिए जाते हैं कि **न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेशिका दिनांक 26.05.2025 में वादीगण को विभाजन में दी गई भूमि के विवरण में** "चक 33 जीबी प.नं. 188/414(7) कि.नं. 1ता5 का 1.265है. मय खाला तथा प.नं. 189/414(8) का कि.नं. 6/0.013, 7/0.013, 8/0.013, 9/0.013, 10/0.012, की कुल 0.064है. प्रत्येक उत्तरी पासा व 24/0.152 पूर्वी पासा, 25/0.228 की 0.380है. कुल 1.709है." **के स्थान पर दुरूस्ती से** "चक 33 जीबी प.नं. 188/414(7) कि.नं. 1ता5 का 1.265है. मय खाला, कि.नं. 6/0.013, 7/0.013, 8/0.013, 9/0.013, 10/0.012, की कुल 0.064है. प्रत्येक उत्तरी पासा तथा प.नं. 189/414(8) का कि.नं. 24/0.152 पूर्वी पासा, 25/0.228 की 0.380है. कुल 1.709है." **पढ़ा एवं लिखा समझा जावे।** उक्तानुसार संशोधित पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश सुनाया गया। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.26 11:42:25 IST
Reason: SelfAttested

R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर